

**महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पति की मृत्यु उपरान्त  
निराश्रित महिला पेंशन योजना ।**

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा व्यवहरित की जा रही पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को चार तिमाही में ₹0 500/- प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जाता है।  
**पात्रता**
  - पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत आवेदिका उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो।
  - आवेदिका के पति की मृत्यु हो गयी हो।
  - आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
  - आवेदिका एवं उसके परिवार की वार्षिक आय समस्त श्रोतों से ₹0 2.00 लाख से अधिक न हो।
  - आवेदिका को राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन प्राप्त न हो रही हो।
  - आवेदिका को आन लाइन फार्म भरे जाने की व्यवस्था है।
- .....